न्यायालय सहायक कलेक्टर, आबूपर्वत

पीठासीन अधिकारी– डॉ गौरव सैनी, आई.ए.एस

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थी
1. श्री लालाराम पुत्र रूपाजी, जाति गरासिया निवासी उपलागढ, तहसील आबूरोड। 2. श्री सोमाराम पुत्र श्री रूपाजी, जाति गरासिया, निवासी उपलागढ, तहसील आबूरोड।		1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार आबूरोड 2. श्री मीठालाल पुत्र हमीराजी 3. श्री सोमाराम पुत्र हमीराजी 4. श्री बाबुराम पुत्र हमीराजी 5. श्री जोनाराम पुत्र हमीराजी 6. श्री रूपाराम पुत्र हमीराजी, जातियान गरासिया, निवासियान उपलागढ, तहसील आबूरोड 7. श्रीमती गंगली पत्नी कालाराम, जाति गरासिया, निवासी उपलागढ, तहसील आबूरोड। 8. पारती पुत्री कालाराम, जाति गरासिया नाबालिग 9. भीखाराम पुत्र श्री कालाराम, जाति गरासिया नाबालिग 10. बेरकी पुत्री कालाराम, जाति गरासिया नाबालिग अप्रार्थी संख्या 08 से 10 नाबालिग जरिये संरक्षक चाचा श्री भैराराम पुत्र भूरीया, जाति गरासिया निवासी उपलागढ, तहसील आबूरोड 11. भेराराम पुत्र भूरीया 12. सकाराम पुत्र भूरीया 13. पूनकी पुत्री भूरीया 14. गीता पुत्री भूरीया 15. पारती पुत्री भूरीया 16. संपी पुत्री भूरीया, जातियान गरासिया, निवासियान उपलागढ, तहसील आबूरोड 17. शारदी पुत्री भोपाराम, जाति गरासिया, निवासी उपलागढ, तहसील आबूरोड 18. अनकी पुत्री श्री भोपाराम, आयु नाबालिग 19. भीखाराम पुत्र श्री भोपाराम आयु नाबालिग 20. मुकेश कुमार पुत्र भोपाराम, आयु नाबालिग 21. डेबरी पुत्री भोपाराम, आयु नाबालिग 22. धुपाराम पुत्र श्री भोपाराम, आयु नाबालिग अप्रार्थी संख्या 18 से 22 नाबालिग जरिये संरक्षक चाचा श्री भैराराम पुत्र भूरीया, जाति गरासिया निवासी उपलागढ, तहसील आबूरोड

सहायक कलक्टर
आबू-पर्वत

Signature Not Verified

Digitally signed by Gaurav Saini
Date: 2021.01.19 09:37:53 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, एवं सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 एवं धारा 151 सीपीसी

राजस्व वाद संख्या 17/2020

दिनांक 21–10–2020

निर्णय

यह कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, एवं सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 एवं धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 02 से 22 की संयुक्त एवं पृथक–पृथक कब्जे काश्त खातेदारी की पुश्तैनी कृषि भूमि ग्राम उपलागढ पटवार क्षेत्र उपलागढ भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र निचलागढ, तहसील आबूरोड में आई हुई है। जिनके खसरा नम्बरान निम्न है :–

खसरा संख्या नया–पुराना	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भू–वर्गीकरण
283 284	479	02–05	बा – 2
	480	00–15	बा – 2
	481	00–02	गै. मु. मकान
	482	01–02	बा – 2
	490	01–16	बा – 2
	603	02–18	बा – 2
	616	00–03	बा – 2
	कुल रकबा	09–01	

खसरा संख्या 479 व 480 कुल 03 बीघा कृषि भूमि प्रार्थीगण के पुश्तैनी कब्जे काश्त की होने से इसके बारे में अनुतोष चाहा है, जिसे इस प्रार्थना पत्र में विवादित कृषि भूमि कहा व लिखा गया है।

प्रार्थीगण एवं उनके पूर्वज दादा भारमा पुत्र मोती परमार ''तायवर'' गौत्र के व्यक्ति है व थे एवं अप्रार्थी संख्या 02 से 22 के पूर्वज धूपा पुत्र भावा ''बुम्बरिया'' गौत्र के है व थे जो आपस में सगे संबंधी लगते है। भारमा पुत्र मोती की कुटुम्बी बहन गंगली बाई से रूपा पुत्र भावा का विवाह उपलागढ में हुआ था। इस कारण धूपा पुत्र भावा अपना मूल पैतृक गांव छोडकर ससुराल उपलागढ में ही रहने लगा। उक्त वर्णित कृषि भूमि प्रार्थीगण एवं उनके पूर्वज दादा भारमा पुत्र मोती परमार के कब्जे काश्त की खसरा संख्या 479 व 480 कुल 03 बीघा कृषि भूमि से लगते हुए अन्य भूमि सेटलमेन्ट से पूर्व तत्समय खाली पडी हुई थी एवं अप्रार्थी संख्या 02 से 22 का पूर्वज धूपा पुत्र भावा संबंधी होने से उक्त खाली पडी भूमि पर प्रार्थीगण के पूर्वज दादा भारमा पुत्र मोती की सहमति से कृषि कार्य करने लगा और वर्तमान में उनके वारिसान अप्रार्थी संख्या 02 से 22 कृषि कार्य कर रहें है।

अप्रार्थी संख्या 02 से 22 का पूर्वज धूपा पुत्र भावा बहुत ही चतुर व चालाक व्यक्ति था। जिसने प्रथम सेटलमेन्ट के समय राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों से मिलीभगत कर प्रार्थीगण एवं उनके पूर्वज दादा भारमा पुत्र मोती परमार के कब्जे की विवादित सम्पूर्ण कृषि भूमि मय कृषि कुंए पेड एवं रहवासी मकान को स्वंय के कब्जे काश्त की कृषि भूमि में शामिल करते हुए राजस्व रेकर्ड में स्वंय का नाम इन्द्राज करवा लिया, जिसका ज्ञान प्रार्थीगण के पूर्वज दादा भारमा पुत्र मोती परमार को नहीं था।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Saini
Date: 2021.01.19 09:37:53 IST
Reason: SelfAttested

यह कि कुछ वर्ष बाद प्रार्थीगण के पूर्वज दादा भारमा पुत्र मोती परमार के वृद्ध होने पर उसकी वृद्धावस्था का अनुचित लाभ उठाकर अप्रार्थी संख्या 02 से 22 के पूर्वत धूपा पुत्र भावा ने वर्ष 1982 में विवादित सम्पूर्ण कृषि भूमि मय कृषि कुंए, पेड एवं रहवासी मकान से भारमा पुत्र मोती परमार को जबरन बेदखल करने का प्रयास किए, तब प्रार्थीगण के (पूर्वज) दादा भारमा पुत्र मोती परमार ने धूपा पुत्र भावा के विरूद्ध उसके द्वारा किए जा रहे नाजायज कब्जे को रोकने हेतु तत्कालीन श्रीमान तहसीलदार आबूरोड को लिखित प्रार्थना पत्र दिनांक 22.05.1982 को दिया था।

सहायक कलक्टर
आबू-पर्वत

उसके पश्चात प्रार्थीगण का पूर्वज दादा भारमा पुत्र मोती अत्यन्त वृद्ध हो जाने प्रार्थीगण के पिता रूपा पुत्र भारमा ने अप्रार्थी संख्या 02 से 22 के पूर्वज धूपा पुत्र भावा के विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी के समक्ष में एक केस किया था जो करीब 5–6 वर्षो तक चलता रहा है। इस दरम्यान गांव की पंचायत के सामने गांव के पंचो द्वारा समझाईश करने पर दिनांक 30.03.1988 को लिखित राजीनामा किया गया जिसमें अप्रार्थी संख्या 02 से 22 के पूर्वज धूपा पुत्र भावा ने समाज के पंचो एवं रूबरू साक्षीगण के समक्ष अपनी गलती स्वीकार करते हुए राजीनामे पर अपने अंगूठा निशानी किए थे तथा प्रार्थीगण के पिता रूपा पुत्र भारमा ने भी अपने अंगुठा निशानी की थी तथा साक्षीयों ने अंगुठे हस्ताक्षर कर सही होना मानकर उक्त राजीनामे को प्रमाणित किया था। उसके पश्चात तत्समय से दोनों पक्षकारान अपने–अपने हिस्से की भूमि बतौर स्वामी व कब्जेदार कृषि कार्य करने लगे।

प्रार्थीगण के पिता रूपा पुत्र भारमा एवं अप्रार्थी संख्या 02 से 22 के पूर्वज धूपा पुत्र भावा के मध्य निष्पादित राजीनामा दिनांक 30.03.1988 के पश्चात लगभग 30 वर्ष बीत गये, इस अवधि के दौरान प्रार्थीगण के पूर्वज दादा भारमा पुत्र मोती व पिता रूपा पुत्र भारमा की भी मृत्यु हो गयी एवं अप्रार्थी संख्या 02 से 22 के पूर्वज धूपा पुत्र भावा एवं उसके पुत्रों की भी मृत्यु हो गयी थी। प्रार्थीगण अपने पूर्वज दादा भारमा पुत्र मोती के तिसरी पीढी के वारिसान थे एवं अप्रार्थी संख्या 02 से 22 उनके पूर्वत धूपा पुत्र भावा के तिसरी पीढी के वारिसान है एवं प्रार्थीगण विवादित कृषि भूमि में अपने हिस्से पर तथा अप्रार्थी संख्या 02 से 22 शेष कृषि भूमि बतौर स्वामी की हैसियत से बिना किसी बाधा व ऐतराज के शान्तिपूर्वक कब्जे काश्त कर अपना व अपने परिवार को पालन पोषण कर जीवन निर्वाह करते आ रहे है। प्रार्थीगण अपने पूर्वजो से विरासत मे प्राप्त हुई खसरा संख्या 49 व 480 की विवादित कृषि भूमि मय कुंआ व रहवासी मकान पर अपने जन्म से ही निवासरत होकर कब्जे काश्त है एवं एडवर्स पजेशन के आधार पर उक्त विवादित कृषि भूमि के पूर्ण रूपेण एडमिटेड खातेदार घोषित हो चुके है। जिस कारण प्रार्थीगण को यह प्रार्थना पत्र वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया है।

हमने प्रकरण को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये। अप्रार्थीगण को जारी नोटिस तामिल शुदा प्राप्त होने से शामिल पत्रावली किये गये। अप्रार्थीगण संख्या 2 से 22 बावजूद नोटिस तामिल के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक्सपार्टी के आदेश पारित किये गये। अप्रार्थी संख्या एक का जवाब प्राप्त होने से शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी संख्या एक द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी अनुसार प्रश्नगत आराजी मौजा उपलागढ के खसरा नंबर 479 व 480 अप्रार्थीगण संख्या 2 से 22 के नाम दर्ज है।

हमने एक पक्षीय बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों अनुसार मौजा उपलागढ के खसरा नंबर 479 व 480 रकबा तीन बीघा अप्रार्थीगण संख्या 2 से 22 के नाम दर्ज है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रश्नगत आराजी के कब्जे के विवाद के संबंध मे तहसीलदार आबूरोड को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की छाया प्रति पेश की तथा उक्त संबंध मे पक्षकारान के बीच हुये राजीनामे को भी पेश किया। प्रार्थीगण का कथन है कि अप्रार्थीगण संख्या 2 से 22 के पूर्वज धुपा पुत्र भावा द्वारा प्रथम सेटलमेन्ट के समय राजस्व कर्मचारियो एवं अधिकारियों से मिलीभगत कर प्रार्थीगण एवं उनके (पूर्वज) दादा भारमा पुत्र मोती परमार [illegible] सम्पूर्ण कृषि भूमि मय कृषि कुंए एवं रहवासी मकान को राजस्व रेकर्ड मे [illegible] नाम इन्द्राज करवा लिया। परन्तु प्रार्थीगण द्वारा इस संबंध मे [illegible] किया है और न ही कब्जे काश्त के संबंध मे कोई ठोस साक्ष्य पेश किया है। [illegible] प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा पंजीकृत नही है। अतः प्रकरण मे सुविधा का संतुलन [illegible]म दृष्ट्या एवं अपूर्णनीय क्षति प्रार्थीगण अपने पक्ष मे स्थापित करने मे असफल रहा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Saini
Date: 2021.01.19 09:37:53 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आबू-पर्वत

इसलिये प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, एवं सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 एवं धारा 151 सीपीसी परिपोषनीय नही होने से खारिज योग्य है।

आदेश

अतः अप्रार्थीगण संख्या 2 से 22 के पूर्वज धुपा पुत्र भावा द्वारा प्रथम सेटलमेन्ट के समय राजस्व कर्मचारियो एवं अधिकारियों से मिलीभगत कर प्रार्थीगण एवं उनके (पूर्वज) दादा भारमा पुत्र मोती परमार के कब्जे काश्त की विवादित सम्पूर्ण कृषि भूमि मय कृषि कुंए एवं रहवासी मकान को राजस्व रेकर्ड मे स्वयं के नाम इन्द्राज करवाने के संबंध मे प्रार्थीगण द्वारा कोई ठोस साक्ष्य पेश नहीं किया है और न ही कब्जे काश्त के संबंध मे कोई ठोस साक्ष्य पेश किया है तथा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा भी पंजीकृत नही होने से तथा प्रकरण मे सुविधा का संतुलन प्रथम दृष्ट्या एवं अपूर्णनीय क्षति प्रार्थीगण अपने पक्ष मे स्थापित करने मे असफल रहा है। इसलिये प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, एवं सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 एवं धारा 151 सीपीसी परिपोषनीय नही होने से खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 21-10-2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ गौरव सैनी) I.A.S.
सहायक कलक्टर,आबूपर्वत

सहायक कलक्टर
आबू-पर्वत

Signature Not Verified

Digitally signed by Gaurav Saini
Date: 2021.01.19 09:57:53 IST
Reason: SelfAttested